यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, **प्रधानाचार्य राजकीय पालिटेक्निक नरेंद्रनगर टिहरी गढ़वाल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **प्रधानाचार्य राजकीय पालिटेक्निक नरेंद्रनगर टिहरी गढ़वाल** के माह 05/2012 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रहलाद सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री रविन्द्र कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 27.04.2018 से 04.05.2018 तक श्री एस.के.जौहरी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी.सी. श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री एस. के. डंग, सुपरवाइजर द्वारा दिनांक 11/05/2012 से 17/05/2012 तक श्री एस के त्यागी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 07/2006 से 04/2012 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2012 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- राजकीय पालीटेक्निक नरेंद्र नगर के अंतर्गत तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना।

(अ) विगत छः वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है :

वर्ष	आवंटन	व्यय (BM -5)
2012-13	21138000	19215732
2013-14	24780000	24059942
2014-15	28102150	27959838
2015-16	34724212	34724212
2016-17	33946426	33946426
2017-18	36013237	36013237

ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत इकाई को प्राप्त धनराशि-शून्य

(ii) इकाई को बजट आवंटन (निदेशक प्राविधिक शिक्षा) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "सी" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(iii) निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन 2. निदेशक प्राविधिक शिक्षा 3. संयुक्तनिदेशक प्राविधिक शिक्षा 4. प्रधानाचार्य राजकीय पालीटेक्निक

(iv) (लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय, **प्रधानाचार्य राजकीय पालिटेक्निक नरेंद्रनगर (टिहरी गढ़वाल)** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय, प्रधानाचार्य राजकीय पालिटेक्निक नरेंद्र नगर (टिहरी गढ़वाल)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2016, 04/ 2016 व 05/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर 1- ₹ 93.86 लाख का निरर्थक व्यय।

भारत सरकार की Submission of polytechnics under coordinated action for skill development योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई ₹ 1.00 करोड़ की धनराशि से राजकीय पोलिटेकनिक नरेंद्र नगर में 27 शैय्यायों का महिला हॉस्टल बनाया जाना प्रस्तावित था। इस संबंध मे TAC द्वारा ₹ 93.96 लाख की धनराशि को औचित्य पूर्ण मानते हुए उक्त धनराशि मे कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। इस संबंध मे उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को निर्माणदायी एजेन्सी बनाया गया। निर्माण इकाई को शासन द्वारा अप्रैल 2014 तक ₹ 90.00 लाख की धनराशि उपलब्ध करा दी गयी थी। सितम्बर 2015 मे निर्माण इकाई द्वारा प्रधानाचार्य राजकीय पोलिटेक्निक को सूचित किया गया कि महिला छात्रावास पूर्ण रूप से तैयार है एवं इसका हस्तांतरण किया जा सकता है। इसके वावजूद तत्कालीन प्रधानाचार्य द्वारा लगभग 01 वर्ष के बिलंब से दिनांक 24.08.2016 को हस्तांतरण की तिथि निर्धारित की गयी। हस्तांतरण से पूर्व संयुक्त निरीक्षण में निर्माण कार्यो मे कुछ कमियाँ पायी गयी, जिसे निर्माण एजेन्सी द्वारा 15 दिन मे पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया। इसके पश्चात इकाई द्वारा लापरवाही दर्शाते हुए न तो कमियाँ दूर हुई नाहीं यह जानने का अथवा दूर करने का प्रयास किया गया एवं न ही इसके त्वरित हस्तांतरण के संबंध मे कोई शीघ्रता दर्शायी गयी। मार्च 2018 में निर्माण इकाई द्वारा प्रधानाचार्य राजकीय पोलिटेक्निक नरेंद्र नगर को एक अनुस्मारक जारी कर कहा गया कि निर्मित हॉस्टल विगत 02 वर्षो से पूर्ण है तथा उपयोग न होने से क्षतिग्रस्त हो रहा है अतः भवन के शीघ्र हस्तांतरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। परंतु लेखा परीक्षा तिथि (मई 2018) तक इकाई द्वारा महिला छात्रावास का अधिग्रहण नहीं किया गया था, फलतः इसके निर्माण पर किया गया ₹ 93.86 लाख का व्यय निरर्थक साबित हो रहा था। लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध मे पूछे जाने पर अपने उत्तर मे बताया कि भवन के हस्तांतरण हेतु सिविल/इलैक्ट्रिकल वर्क के जानकारों कि एक कमेटी बनाई जानी थी जिन्हे कार्य संतोषजनक है के बारे मे प्रमाण पत्र देना था, कमेटी बनाने मे समय लगने के कारण उक्त कार्यवाही मे देरी हुई। निर्माण एजेन्सी द्वारा अभी भी कमियाँ दूर किया जाना शेष है, भवन के हस्तांतरण की कार्यवाही तृतीय पक्ष निरीक्षण कराते हुए शीघ्र की जाएगी। इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योकि इकाई के पास सिविल/इलैक्ट्रिकल वर्क के जानकारों (क्योंकि पोलिटेकनिक खुद इन विषयों पर प्रशिक्षण देता है) की पर्याप्त उपलब्धता होने के बावजूद इस कार्य मे लापरवाही बरती गयी तथा इसके पश्चात भी निरीक्षण के दौरान पायी गयी कमियों को निर्माण इकाई से मिलकर दूर कराने मे कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गयी फलतः छात्रावास का हस्तांतरण लेखापरीक्षा अवधि तक नहीं किया जा सका था। साथ ही निर्माण इकाई से चिन्हित कमियों को दूर कराये बगैर अनुबन्ध की अवशेष धनराशि ₹ 3.86 भुगतान कर दिया गया था। अतः ₹ 93.86 लाख का व्यय निरर्थक साबित हुआ। प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1- ₹4.40 लाख का अनियामित व्यय।

GFR, Rule 139 Procedure for Execution of Works. The broad procedure to be followed by a Ministry or Department for execution of works under its own arrangements shall be as under :- (v) limited tenders will be called for works costing less than Rupees five lakhs; (vi) execution of Contract Agreement or Award of work should be done before commencement of the work; (vii) final payment for work shall be made only on the Personal Certificate of the Officer-in-charge of execution of the work in the format given below: "I ….. Executing Officer of (Name of the Work), am personally satisfied that the work has been executed as per the specifications laid down in the Contract Agreement and the workmanship is up to the standards followed in the Industry."

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक नरेंद्रनगर, टिहरी गढ़वाल के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि माह मार्च 2018 में बिल संख्या 101 एवं 123 के बाउचर संख्या B22030038 तथा B22030039 के अंतर्गत धनराशि क्रमश: ₹ ₹249600 तथा ₹ 191000 (कुल ₹249600+₹191000=440600) अनुरक्षण मद के अंतर्गत व्यय की गई थी। जिसमें इकाई के फार्मेसी लैब में स्लैव, फार्मेसी भवन की मरम्मत बाहरी दीवारों में वेदर प्रूफ पेंट, वर्कशाप व फार्मेसी भवन की खिड़की के शीशे आदि के कार्य कराये गए थे। उपरोक्त नियमानुसार उक्त कार्यों के संपादन हेतु सिमित निविदा प्रक्रिया का पालन कर कार्यदायी एजेंसी का चयन किया जाना चाहिए था परन्तु लेखापरीक्षा में पाया गया कि उक्त कार्य कोटेशन प्राप्त कर कराये गए थे जो उपरोक्त नियम की अवहेलना किया जाना था।

इस सम्बन्ध में संप्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में कहा गया कि भविष्य में अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लेखित नियमों के आधार पर व्यय किया जायेगा यद्यपि कार्य कोटेशन प्राप्त कर न्यूनतम दरों पर कराया गया था।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि संस्था द्वारा बिना निविदा आमंत्रित किये ₹ 440600 के कार्य, अनुरक्षण मद में कराये गए थे जबकि वित्तीय नियमानुसार सीमित निविदा limited tenders आमंत्रित किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार ₹ 440600 के अनियमित व्यय का प्रकरण, प्रकाश में लाया जाता हैं।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	अवधि	**भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या**
202	2004-05	1,2
64	2006-07	1
24	2012-13	1,2,3,4

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
उपरोक्त लम्बित प्रस्तरों के सम्बन्ध में इकाई द्वारा बताया गया कि लम्बित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या तैयार की जा रही है जिसको उच्चाधिकारियों की संस्तुति के पश्चात् कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रेषित किया जायेगा।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----शून्य --

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **प्रधानाचार्य राजकीय पालिटेक्निक नरेंद्र नगर (टिहरी गढ़वाल)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) पूर्व लम्बित प्रस्तरों एवं नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी की अनुपालन आख्या

(ii) मुख्य प्रशासनिक भवन के अनुरक्षण एवं मरम्मत सम्बन्धी कार्य का आगणन, अनुबन्ध, तकनीकी स्वीकृति एवं व्यय सम्बन्धी अभिलेख

2. सतत् अनियमितताएँ-

--शून्य--

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री बी. के. सिंह	प्रधानाचार्य	05/2012 से 31.01.2017
2.	श्रीमती नर्मदा सिंह	प्रधानाचार्य	01.02.2017 से 02.08.2017
3.	श्री आलोक मिश्रा	प्रधानाचार्य	03.08.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रधानाचार्य राजकीय पालिटेक्निक नरेंद्र नगर (टिहरी गढ़वाल)** को इस आशय से प्रेषित की जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून को प्रेषित कर दी जाएगी।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.